रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102024-257776
CG-DL-E-09102024-257776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 573] नई दिल्ली बुधवार, अक्तूबर 9, 2024/ आश्विन 17, 1946
No. 573] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024/ ASHVINA 17, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2024

सं. 24/2024-केन्द्रीय कर

सा. का. नि. 628(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 607(अ), दिनांक 19 जून, 2017 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा:-

"परंतु इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाले धातु स्क्रैप की आपूर्ति में लगे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।"।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

अमृता टाइटस, उपसचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्यांक 5/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 607(अ), दिनांक 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2024.

No. 24/2024-Central Tax

G.S.R. 628(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 5/2017- Central Tax, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 607(E), dated the 19th June, 2017, namely:-

In the said notification, after the opening paragraph, the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that nothing contained in this notification shall apply to any person engaged in the supply of metal scrap, falling under Chapters 72 to 81 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).".

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F No. CBIC-190354/149/2024-TO(TRU-II)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note: The principal notification no. 5/2017- Central Tax was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 607(E), dated the 19th June, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2024

सं. 25/2024-केन्द्रीय कर

सा. का. नि. 629 (अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 868(अ) दिनांक 13 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) प्रविष्टि (ग) के पश्चात् और प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी,-

"(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो अन्य किसी पंजीकृत व्यक्ति से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अन्तर्गत आने वाले, धातु स्क्रैप की आपूर्ति प्राप्त करता है";

ii) तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, -

"परंतु कि इस अधिसूचना में कोई भी बात, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत, इस अधिसूचना के खंड (घ) को छोड़कर, निर्दिष्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।"

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगी।

[फा.सं सीबीआईसी-190354/149/2024-टीओ(टीआरयू-II)]

अमृता टाइटस, उपसचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्यांक 50/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 13 सितम्बर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 868 (अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार संशोधन संख्यांक सा.का.नि. 1250 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 73/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 से किया गया ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2024.

No. 25/2024-Central Tax

G.S.R. 629(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 read with section 51 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 50/2018-Central Tax, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R 868 (E), dated 13th September, 2018, namely:–

In the said notification,

(i) after clause (c) and before the first proviso, the following clause shall be inserted,-

"(d) any registered person receiving supplies of metal scrap falling under Chapters 72 to 81 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from other registered person";

(ii) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely-

"Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both, which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of Section 51 of the said Act, except the person referred to in clause (d) of this notification."

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[F No. CBIC-190354/149/2024-TO(TRU-II)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Note:- The principal notification no. 50/2018- Central Tax, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R 868 (E), dated 13th September, 2018 and last amended *vide* notification no. 73/2018-Central Tax, number G.S.R 1250(E), dated 31st December, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.